

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

63

39

पत्रांक : 25 / प्र0370(त0स0-2) / जोन-6 / 2015-16 दिनांक 12 / 01 / 2016

अनुमति-पत्र










यह अनुमति उ050 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमे के सम्बन्ध में निम्न पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निर्माण या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर नहीया अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकथित या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीगौरी मनोरमा पाण्डेय पत्नी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा मुख्यमन्त्र संख्या-611 मौजा-गद्दोपुर फाफामऊ, परगना व टाठसील-सौरभ, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (6) के अन्तर्गत जिला व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ050 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लगभग/अधिमोक्ष किया जाएगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णतः प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लया जा सकेगा।
3. स्थल पर 07 अक्ष वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हटा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
4. रेनवाटर ड्रैनेजिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ उच्च थोड़े (सिंचाई विभाग) की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही एफ0सी0आर0 अयमुक्त किया जाएगा।
5. यह कि निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचनात्मक सुरक्षा का दायित्व आवेदिका का होगा। निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों पर ही किया जाय।
6. स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय। तदनुसार ही स्थल का अधिमोक्ष/अनुमोक्ष इ0वि0प्र0 से पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जाय।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद उठने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सम्म न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरतारित किया जा सकता है।
8. यदि आवेदिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ050 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो गलत के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को क्षति पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कइ तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विचारा प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी क्लस 1965) नियम 62 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदिका को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को गलत की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना गलत अबाध होने से पूर्व देना होगा तथा उस अदागी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो नई स्वीकृति रद्द चण्डी आवेगी और किया गया निर्माण अतिक्रमण घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाई आरम्भ की जायेगी।
13. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।


14-1-16

श्रीगौरी मनोरमा
पाण्डेय पत्नी श्री आलोक कुमार पाण्डेय
विशेष कार्यकारी



SHOP WITH NO.	SHOP AREA IN M ²
SHOP NO-1	10.90
SHOP NO-2	10.90
SHOP NO-3	10.90
SHOP NO-4	10.90
SHOP NO-5	10.90
SHOP NO-6	10.90
PASSAGE	27.90
TOTAL	93.00 M²

- NOTE :-**
- 1. TOTAL AREA OF PLOT = 684.00 M²
 - 2. COVERED AREA ON BASE F = 113.52 *
 - 3. RESI. COV. AREA ON G.F. = 200.00 *
 - 4. COMM. COV. AREA ON G.F. = 93.00 *
 - 5. RESI. COV. AREA ON F.F. = 293.00 *
 - 6. RESI. COV. AREA ON S.F. = 254.80 *
 - 7. OPEN AREA ON G.F. = 391.00 *
 - 8. MUMTY AREA = 15.16 M²
 - 9. ACHIEVED F.A.R. = 1.24 (APPROX)
 - 10. PROVIDE CAR PARKING - = 7.00 Nos.



It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021 / Zonal Plan and Bhuvan Upprishi 2012

PROPOSED COMMERCIAL / RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PLOT NO. 611 MAUJA GADDOPUR, PARGANA & TEHSIL SADAR- ALLAHABAD.

OWNER :-
SMT. MANORIMA PANDAY
W/O SRI ALOK KUMAR PANDAY

SCALE 1:100

En. V. K. Mishra
31.03.24
Vidya Enclave Sector 2
G.P. Indira Nagar, Allahabad
MO. 9452123099
REG. OF. ENGR.

